नियम एवं शर्तेः–

1. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण कर विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं समस्त वांछित योग्यताओं की प्रमाणित प्रति संलग्न करते हुये पंजीकृत डाक से भेजना होगा। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर जिस पद हेतु आवेदन किया जा रहा है उस पद का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने हेतु पृथक–पृथक आवेदन करना होगा।
2. आवेदन पत्र के साथ आवेदक को विगत 05 वर्षो में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिलने विषयक, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र तथा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
3. अधिकतम आयु सीमा तथा सेवाकाल की गणना दिनांक 01 जनवरी, 2012 को आधार मान कर की जाएगी।
4. प्रतिनियुक्ति की सेवा अवधि राज्य में परियोजना संचालन की अवधि पर निर्भर करेगी। प्रतिनियुक्ति अवधि का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप ही किया जायेगा। प्रतिनियुक्ति पर चयनित अभ्यर्थी के परियोजना में आंवटित कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर प्रतिनियुक्ति विस्तारीकरण अथवा समाप्ति पर विचार किया जायेगा।
5. अपूर्ण व वांछित योग्यता न रखने वाले आवेदकों के आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे। जिसकी सूचना आवेदक को दिया जाना सम्भव नहीं होगा।
6. सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी के पदों पर चयन काउंसिलिंग के आधार पर तथा समन्वयक व सह–समन्वयक पदों हेतु चयन निम्नानुसार परीक्षाओं में प्राप्त अंको के आधार पर किया जायेगा :–

समन्वयक तथा सह–समन्वयक पद हेतु
➢ हाईस्कूल–प्राप्तांकों का प्रतिशत X 1/10
➢ इण्टरमीडिएट– प्राप्तांकों का प्रतिशत X 2/10
➢ स्नातक – प्राप्तांकों का प्रतिशत X 3/10
➢ स्नातकोत्तर– प्राप्तांकों का प्रतिशत X 4/10
➢ बी0एड0/बी0टी0सी0– प्रथम/प्रथम – 12, 12 अंक द्वितीय/द्वितीय – 06, 06 अंक तृतीय/तृतीय – 03, 03 अंक
➢ एम0एड0 – 03 अंक
➢ प्रारम्भिक शिक्षा परियोजना में कार्य करने का अनुभव – 01 वर्ष के लिये 01 अंक अधिकतम 05 अंक।

7. विज्ञापित पदों पर चयन क्रमांक 06 के अनुसार निर्धारित श्रेष्ठता सूची तथा चयन समिति द्वारा स्क्रीनिंग के आधार पर किया जायेगा।
8. पूर्ण रूप से भरे हुये आवेदन पत्र दिनांक 26 अप्रैल, 2012 सांय 5:00 बजे तक राज्य परियोजना कार्यालय उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद् ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, रायपुर, देहरादून में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से अवश्य पहुँच जाने चाहिए। निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे। कोरियर द्वारा भेजे जाने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
9. आवेदन पत्र में प्रस्तुत की गयी सूचनाएं असत्य पाये जाने पर आवेदन/चयन निरस्त कर दिया जाएगा तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
10. रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है।
11. अर्ह आवेदकों की मैरिट सूची एवं तद्नुसार उपलब्ध रिक्तियों के अनुरूप चयनित अभ्यर्थियों की सूची उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद् की वेबसाइट **http://ssa.uk.gov.in** पर उपलब्ध होगी। चयनित अभ्यर्थियों को पंजीकृत डाक द्वारा भी सूचित किया जाएगा।
12. यह विज्ञप्ति 31 मार्च 2013 तक वैध होगी।
13. काउंसिलिंग हेतु बुलाए जाने पर किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

राज्य परियोजना निदेशक
उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद्
उत्तराखण्ड, देहरादून